उत्तराखण्ड बाल अधिकार संरक्षण आयोग

(संसद द्वारा पारित कानून एनसीपीसीआर 2005 के अंतर्गत)
उत्तराखण्ड, देहरादून

पत्रांक– 87/SCPCR.UK/2018–19 दिनांक 18-04-2018

पंजीकरण सूचना

उत्तराखण्ड बाल अधिकार संरक्षण आयोग, निकट–नन्दा की चौकी, विकासनगर रोड़, देहरादून द्वारा वर्ष 2018–19 में (01 राष्ट्रीय स्तर, 01 राज्य स्तर, 13 जिला स्तर एवं 95 विकासखण्ड स्तरीय) कार्यशाला/सेमिनार/संगोष्ठियों का आयोजन कराया जाना है। उक्त कार्यशालाओं में कैटरिंग कार्य हेतु इच्छुक कार्यदायी संस्थाओं को विज्ञापन प्रकाशन की तिथि से दि0.01.05.2018 अपराह्न 5:00 बजे तक आयोग कार्यालय में पंजीकरण हेतु आमंत्रित किया जाता है। पंजीकरण की सेवा–शर्तें आयोग की वेबसाइट–**www.scpcruk.org.in** में देखे/डाउनलोड किये जा सकते है, अधिक जानकारी के लिए कार्यालय दूरभाष सं0–0135–2775909 पर सम्पर्क कर सकते है।

(कामिनी गुप्ता)
अनु सचिव
बाल अधिकार संरक्षण आयोग
उत्तराखण्ड, देहरादून

पंजीकरण की सेवा–शर्तें

1. संस्था का नामः– ....
2. संस्था का पताः–..
3. सम्पर्क व्यक्ति का नाम..
4. संस्था का प्रकार..
5. सम्पर्क विवरण–फोन नं0 / मोबाईल नं0–......................ई–मेल......................
6. संस्था को संबंधित सेवा हेतु पंजीकृत एजैन्सी होना चाहिए ....(प्रमाण पत्र संलग्न करें)
7. जी0एस0टी0 पंजीयन संख्या..(प्रमाण पत्र संलग्न करें)
8. पैन नम्बर संख्या..(प्रमाण पत्र संलग्न करें)
9. संस्था का वर्ष (2015–16, 2016–17, 2017–18) में से किन्ही दो वर्षों में सरकारी / अर्द्धसरकारी / अन्य संस्थानों में कार्यशाला / सेमिनार / संगोष्ठिया आदि में गुणवत्ता पूर्ण कार्य / सेवा का अनुभव प्रमाण–पत्र निम्नानुसार संलग्न करना अनिवार्य है।

   (अ) राष्ट्रीय स्तर
   (ब) राज्य स्तर
   (स) जनपद स्तर
   (द) विकासखण्ड स्तर

10. संस्था द्वारा (2015–16, 2016–17, 2017–18) में से किन्ही दो वर्षों की आयकर रिटर्न की प्रमाणित प्रति उपलब्ध करायी जायेगी। प्रमाण पत्र संलग्न करें।
11. संस्था का वार्षिक टर्नओवर चार्टेड एकाउन्टेन्ट (सी0ए0) द्वारा जारी वर्ष (2015–16, 2016–17, 2017–18) में किन्ही दो वर्षों में न्यूनतम रू0 20 लाख तक होना अनिवार्य है। प्रमाण पत्र संलग्न करें।
12. संस्था द्वारा Black List नहीं होने का शपथ पत्र नोटरी पत्र पर प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य होगा।
13. पंजीकरण के उपरान्त पंजीकृत संस्थाओं से वित्तीय भाव पत्र प्राप्त किये जायेगें।
14. कार्य अवधि 01 वर्ष के लिए मान्य होगी।

(कामिनी गुप्ता)
अनु सचिव
बाल अधिकार संरक्षण आयोग
उत्तराखण्ड, देहरादून